"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 207] नवा रायपुर, मंगलवार, दिनांक 28 अप्रैल 2026 — वैशाख 8, शक 1948

परिवहन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 28 अप्रैल 2026

सूचना

क्रमांक F RULE/6/2025-TRANSPORT-Part(2).— छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम, 1994 में और संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे राज्य सरकार, मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 65 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए बनाना प्रस्तावित करती है, उक्त अधिनियम की धारा 212 की उप–धारा (1) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार, उन समस्त व्यक्तियों, जिनके कि इससे प्रभावित होने की संभावना है, की जानकारी के लिए एतद्द्वारा प्रकाषित किया जाता है तथा एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप पर, इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 30 दिवस के अवसान पर विचार किया जायेगा।

कोई आपत्ति या सुझाव, जो उक्त प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से विनिर्दिष्ट कालावधि के पूर्व, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, ई–मेल. ps-transport@cg.gov.in, परिवहन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर, के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर प्राप्त हो, पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विचार किया जायेगा।

संशोधन प्रारूप

उक्त नियमों में,–

1. नियम 55–ग के पश्चात्, निम्नलिखित नियम जोड़ा जाये, अर्थात्:–

''**55–घ. पंजीयन चिन्ह का प्रतिधारण.**–(1) किसी मोटरयान का पंजीकृत स्वामी, अपने पुराने वाहन के पंजीयन चिह्न (साधारण/फैंसी/चॉइस नंबर) का प्रतिधारण या पुनः उपयोग, क्रय किये गये नवीन वाहन अथवा अन्य राज्य से पते में परिवर्तन कर पंजीयन हेतु लाये गये वाहनों पर कर सकेगा।

(2) वाहन स्वामी को, प्रत्येक मोटरयान के पंजीयन चिन्ह का प्रतिधारण या पुनः उपयोग की अनुमति केवल एक बार ही होगी।

(3) पंजीयन चिन्ह का प्रतिधारण करने के लिए फैंसी/चॉइस नंबर हेतु निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगाः

परंतु ऐसे पंजीयन चिन्ह, जिनके फैंसी/चॉइस नंबर के प्रतिधारण हेतु शुल्क का निर्धारण नहीं किया गया है, के उपयोग के लिए शुल्क ₹ 5000/– का भुगतान करना होगा।

स्पष्टीकरण – फैंसी/चॉइस नंबर के अंतर्गत नीलामी की प्रारंभिक बोली राशि को यथा निर्धारित शुल्क समझा जायेगा।

(4) पंजीकरण चिन्ह के प्रतिधारण या पुनः उपयोग हेतु आवेदन, प्रारूप सी.जी.एम.व्ही.आर. 34–क में नियम 62 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट अपेक्षित दस्तावेज एवं आवेदन शुल्क के साथ पंजीयन प्राधिकारी को प्रस्तुत करना होगा।

(5) जहाँ वाहन स्वामी द्वारा मोटरयान को विधिवत् स्क्रैप कर दिया गया है अथवा अन्य विधिपूर्ण साधनों के माध्यम से पंजीयन का निरस्तीकरण प्राप्त का लिया गया है, पंजीयन चिन्ह का पुनः उपयोग करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी पंजीयन निरस्तीकरण प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगाः

परन्तु, जहाँ वाहन को किसी अन्य राज्य में स्थानांतरित करने के लिए अनापत्ति प्रमाण–पत्र (एनओसी) जारी किया गया है, तो पंजीयन चिन्ह के पुनः उपयोग के लिए संबंधित पंजीयन प्राधिकारी से जारी नवीन पंजीयन प्रमाणपत्र (आर.सी.कार्ड) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(6) पंजीयन चिन्ह के प्रतिधारण की सुविधा, निम्नलिखित वाहनों पर लागू नहीं होगीः

(क) राज्य में पूर्व से पंजीकृत वाहनों के लिए; या

(ख) ऐसे वाहन, जिनके संबंध में अन्य राज्य से अंतर्राज्यीय अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त होने के आधार पर पता परिवर्तन दर्ज किया गया है, परन्तु पंजीयन चिन्ह किसी अन्य राज्य से संबंधित है; एवं

(ग) ऐसे वाहन, जिनका पंजीयन निरस्त हो गया है अथवा अन्य राज्य हेतु जारी अनापत्ति प्रमाणपत्र की अवधि एक वर्ष से अधिक हो चुकी हो।

(7) ऐसी दशा में, जहाँ अनापत्ति प्रमाणपत्र के आधार पर राज्य में पते के परिवर्तन को दर्ज किया गया है, तो पंजीयन चिन्ह का प्रतिधारण, अंतिम पंजीयन प्राधिकारी की अधिकारिता में होगा।

(8) पंजीयन चिन्ह के प्रतिधारण या पुनः उपयोग की सुविधा, शासकीय वाहनों पर भी लागू होगी; तथापि ऐसे वाहनों को विनिर्दिष्ट शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त होगी।''

2. नियम 62 के अंतर्गत सारणी में सरल क्रमांक 1 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

''स.क्र.	प्रयोजन	रकम (₹)
1–क	पंजीयन चिन्ह का प्रतिधारण	200.00''

3. प्रथम अनुसूची के प्ररूप सी.जी.एम.व्ही.आर. 34 (बी.टी.आई.) के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

''प्ररूप सी.जी.एम.व्ही.आर. 34 (क)
(नियम 55–घ देखिये)

पंजीयन चिन्ह के प्रतिधारण के लिए आवेदन पत्र

प्रति,
पंजीयन प्राधिकारी
.....छ.ग.

छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम, 1994 के नियम 55–घ के प्रावधानों के अनुसार, मैं वाहन पंजीयन क्रमांक .... के पंजीयन चिन्ह के प्रतिधारण हेतु आवेदन प्रस्तुत करता/करती हूँ:–

भाग–एक

1. पूरा नाम/कम्पनी का नाम .....
2. पिता/पति का नाम .....
3. पूरा पता .....

4. मोबाईल/दूरभाष क्र. .....

5. ईमेल आई.डी (यदि कोई हो) .....

6. चेसिस नं. .....एवं ईंजिन नं. .....

7. वाहन का प्रकार .....

8. चालान संख्या ..... तारीख .....

भाग–दो

9. वाहन के पंजीयन चिन्ह के प्रतिधारण का कारण (वाहन का पंजीयन निरस्तीकरण अथवा अन्य राज्य हेतु अनापत्ति प्रमाणपत्र का जारी किया जाना) .....

10. पंजीयन चिन्ह जारी किये जाने वाले वाहन की श्रेणी (नवीन वाहन/अन्य राज्य से अनापत्ति प्रमाणपत्र के साथ पते के परिवर्तन हेतु).....

11. नवीन वाहन अथवा अन्य राज्य से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त वाहन पर, पंजीयन चिन्ह अनुदेशन की जानकारीः

(क) निर्माता और मॉडल .....

(ख) चेसिस संख्या.....एवं ईंजन संख्या.....

(ग) क्रय/अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी दिनांक एवं विवरणः.....

(घ) अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी किये जाने की स्थिति में, मूल पंजीयन प्राधिकारी का विवरण .....

.....

भाग–तीन
घोषणा

मैं, हस्ताक्षरकर्ता, निम्नानुसार एतद्द्वारा, घोषणा करता/करती हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य एवं सही है। मैं पंजीयन चिन्ह के प्रतिधारण अथवा पुनः उपयोग के संबंध में, छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम, 1994 के प्रावधानों का अनुपालन करने का वचन देता/देती हूँ।

आवेदक के हस्ताक्षर

दिनांक .....
स्थान .....

संलग्न दस्तावेज में टिक लगाएं

1	पुराने पंजीकरण प्रमाणपत्र (आरसी) की प्रति	
2	वाहन स्क्रैपिंग/पंजीयन निरस्तीकरण का प्रमाण (यदि लागू हो)	
3	अन्य राज्य से जारी अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) (यदि लागू हो)	
4	अन्य राज्य में पंजीयन का प्रमाण (यदि अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी किया गया है)	
5	प्रतिधारण शुल्क के भुगतान की रसीद	
6	आवेदक का पहचान प्रमाण	”

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अंशिका ऋषि पाण्डेय, उप–सचिव.